न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0 सं0–462 / 2013

आदेश

20.01.2023.

सुधीर कुमार श्रीवास्तव बनाम् बिहार सरकार वगैरह

वादी एवं प्रतिवादी की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक–14.11.2022 एवं प्रतिउत्तर दिनांक–08.12.2022 पर उभय पक्षों के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपसिथत हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी के द्वारा अंचलाधिकारी शिवजी का प्रमाण पत्र दिनांक–18.07.2006 को दाखिल अभिलेख किया गया है जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है साथ ही प्रस्तुत वाद में वादी ने भोला सिंह अमीन द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन एवं नजरी नक्शा दिनांक–26.06.2013 दाखिल किया है जो इस वाद में प्रदर्श भी अंकित हो चुका है। परन्तु भूलवश भोला सिंह अमीन का साक्ष्य आवेदक के द्वारा नहीं कराया गया है। उक्त साक्षी का साक्ष्य महत्वपूर्ण है एवं अंचलाधिकारी का प्रमाण पत्र को प्रदर्श कराना अति आवश्यक है जिसके लिए वादी को अपना साक्ष्य पुनः खोलने की आवश्यकता है। अतः विद्वान अधिवक्ता वादी का साक्ष्य पुनः आवेदन दिनांक–19.11.2022 को स्वीकृत करने के प्रार्थना करते है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है वादी की ओर से बहस को समाप्त न कर विभिन्न प्रकार के आवेदन देकर मुकदमा को लंबित रखना चाहते हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के बहस हेतु नियत है वादी के द्वारा जो दस्तावेज एवं अमीन की साक्ष्य हेतु आवेदन देकर प्रार्थना किया गया है वह वादी के वाद के

स्टेज समाप्त होने के बाद लाया गया है। वादी को अपने साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि उन्हें साक्ष्य हेतु पर्याप्त समय दिया गया है फिर भी तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुए न्यायहित में वादी के आवेदन को 1500/—रू0 खर्च के साथ जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है तथा वाद को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

वाद दिनांक—.....2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु।

लेखापित

सब जज—तृतीय